न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्र0न0 —132/2020(2020/00148)

उनवान : —

अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. सुशील कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल **वादी**
श्री सतवीर बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 03/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी सम्वत 2071—74 के वर्तमान खाता संख्या 92/87 के मुरब्बा न0 54 के किला न0 1 ता 16, मु0 न0 55 के किला न0 3 ता 8, 13, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 बारानी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 120/114 के मु0 न0 2 के किला न0 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 3 के किला न0 11, 12, 20, 21, मु0 न0 12 के किला न0 1, 10, मु0 न0 13 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 8, 11/1, 12/1, 13, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 61 की कुल 14.357 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हि[illegible]धिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि [illegible] की खातेदारी हुआ करती थी। हरदयाल से विरास्तन [illegible] ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी ने [illegible]पने नाम से दर्ज क[illegible]या। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:06:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी ओमप्रकाश के ाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता तिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश को वादी के दादा हरदयाल से विरासतन प्राप्त हुई है। तौनी जमाबन्दी चक 1 बीएचडी सम्वत 2047–50 के खाता संख्या 101/98 व चक बारानी सम्वत 2063–39 के खाता संख्या 17 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त ाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन लब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भोजासर हसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 1 बीएचडी सम्वत 071–74 खाता संख्या 92/87 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 6 बारानी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 120/114 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 1 बीएचडी सम्वत 2047–50 के ाता संख्या 101/98 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 1 बीएचडी सम्वत 2047–51 के खाता ंख्या 23/19 प्रदर्श 4, चक 1 बीएचडी खाता संख्या 25/21 प्रदर्श 5, नामान्तरकरण जिस्टर चक 1 बीएचडी प्रदर्श 6, 7, सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा जारी सदस्य माण पत्र प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के थ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन केया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 1 बीएचडी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 92/87 के मुरब्बा न0 54 के किला न0 1 ता 16, मु0 न0 55 के किला न0 3 ता 8, 13, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 बारानी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 120/114 के मु0 न0 2 के किला न0 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 3 के किला न0 11, 12, 20, 21, मु0 न0 12 के किला न0 1, 10, मु0 न0 13 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 17 के किला न0 1 ता [illegible] 12/1, 13, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 61 की कुल 14.[illegible] [illegible] संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है। जिसमें वाद भूमि [illegible] कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर [illegible] खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:06:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र० सं० 132/20 अनुवान अमित कुमार बनाम ओमप्रकाश आदि धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 92/87 के मुरब्बा न0 54 के किला न0 1 ता 16, मु0 न0 55 के किला न0 3 ता 8, 13, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 बारानी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 120/114 के मु0 न0 2 के किला न0 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 3 के किला न0 11, 12, 20, 21, मु0 न0 12 के किला न0 1, 10, मु0 न0 13 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 8, 11/1, 12/1, 13, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 61 की कुल 14.357 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है। **उसमें वादी अमित कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 2 सुशील कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि देय हो तो नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:06:16 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़